फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

04-10-2013 आवेदक **श्री नीरज कुमार दीपक,** पिता–स्व0 इन्दुभूषण सिंह, सा0–C/O-यमुना यादव, शांति पथ, सरिस्ताबाद, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्रा0+ पो0–सरडीहा, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा से प्राप्त एक दो नाली बन्दूक शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–919/2008 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–04.10.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–04.10.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे बिहार पुलिस रेडियो, पटना में साक्षर सिपाही/आपरेटर के पद पर पदस्थापित हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–596/गो0, दिनांक–07.04.2010 द्वारा आवेदक के स्थायी पता पर सत्यापन के पश्चात आवश्यक क्रियार्थ भेजी गयी है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक–1842/गो0, दि0–10.10.2011 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के स्थायी पता/चरित्र एवं आपराधिक इतिहास के संबंध में सत्यापन थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर के द्वारा कराया गया जिसके आलोक में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का नाम पता सही पाया गया एवं इनके विरूद्ध स्थानीय थाना के अभिलेख में किसी तरह के शिकायत संबंधी प्रविष्टि नहीं पायी गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक बिहार पुलिस रेडियो, पटना में साक्षर सिपाही/आपरेटर के पद पर पदस्थापित हैं। आवेदक के पिता स्व0 इन्दु भूषण सिंह को पूर्व से एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति संख्या–1370/1980 प्राप्त है जिसपर शस्त्र सं0–124 धारित था। तदोपरान्त उनके द्वारा जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, कोई विशेष कारण अंकित नहीं किया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक दो नाली बन्दूक हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री नीरज कुमार दीपक, पिता–स्व0 इन्दुभूषण सिंह, सा0–C/O-यमुना यादव, शांति पथ, सरिस्ताबाद, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना, स्थायी पता–ग्रा0+ पो0–सरडीहा, थाना–बख्तियारपुर, जिला–सहरसा के आवेदित एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।